<table>
<tr><td>तारीख हुक्म</td><td>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
सप्लाई विविध प्रकरण सं. 08/2017 प्रर्वतन अधिकारी जिला रसद कार्यालय, जोधपुर बनाम नरसिंगाराम पुत्र हुकमाराम</td></tr>
<tr><td>12-12-17</td><td>पत्रावली आज पेश हुई अप्रार्थी अभिभाषक उपस्थित। संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि राज्य सरकार जरिये प्रर्वतक निरीक्षक, जिला रसद कार्यालय जोधपुर की ओर से यह प्रार्थना–पत्र अतंर्गत धारा 6 –ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 सपठित द्रवित पेट्रोलियम गैस वितरण व प्रदाय नियंत्रण आदेश के तहत अप्रार्थी नरसिंगाराम पुत्र हुकमाराम, मेगा हाईवे के पास शेरगढ़, तहसील शेरगढ़, जिला जोधपुर के विरूद्ध पेश किया है जिसमें यह व्यक्त किया है कि दिनांक 03.05.2017 को रसोई गैस कालाबाजारी तथा घरेलू गैस का वाणिज्यिक प्रयोग में लेने के क्रम में नरसिंगाराम की फर्म का निरीक्षण किया मौका पर नरसिंगाराम मालिक के तौर पर उपस्थित मिला मौतबिरान के रूबरू जांच कि गई एवं पाया कि घरेलू सिलेण्डर (14.2) भराव क्षमता का उपयोग अवैध परिवहन एवं सग्रंह किया जा रहा था। गैस सिलेण्डर उपयोग लेते पाये गये।
<table><tr><td>क्र. स.</td><td>सिलेण्डर नं.</td><td>कम्पनी का नाम</td><td>सिलेण्डर पर अंकित वजन</td><td>सिलेण्डर का वजन</td><td>गैस का वजन</td></tr><tr><td>01</td><td>138434</td><td>एच.पी.</td><td>16.00</td><td>17.5</td><td>1.5</td></tr></table>
इस प्रकार घेरलू गैस का सग्रंह कर वाणिज्यिक प्रयोग पाये जाने पर उपरोक्त वर्णित सिलेण्डर 138434 घेरलू गैस सिलेण्डर को जब्त किया सरकार किया जाकर कुवंरराज सिंह पुत्र सुमेर सिंह फर्म गिरीराज गैस सर्विस, शेरगढ़, जोधपुर को सुपुर्द किया गया। इस प्रकार घेरलू गैस सिलेण्डर का सग्रंह कर वाणिज्यिक कार्य में प्रयोग किया जाना पाया गया जो द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनिमयन) आदेश 2000 की धारा 3बी, 4, 5, 6 की स्पष्ट अवहेलना की गई है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 दण्डनीय अपराध है।
हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी को नोटिस अन्तर्गत धारा 6 बी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का जारी किया जो विधिवत तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थी की ओर से अभिभाषक एच.आर. प्रजापत ने वकालतनामा प्रस्तुत किया और आज दिनांक तक नोटिस का प्रत्युतर नहीं दिया। अतः इस प्रकरण में एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है।
प्रर्वतन निरीक्षक द्वारा वक्त निरीक्षण के दौरान जब्तसुदा एक गैस सिलेण्डर एच.पी. कम्पनी का उपयोग कालाबाजारी के काम में लिया जा रहा था। अप्रार्थी नरसिंगाराम से पुछने पर कोई सन्तोषजनक जबाब नहीं दिया न ही नरसिंगाराम किसी प्राधिकृत ऑयल कम्पनी का डिलर है इस प्रकार घरेलू गैस का संग्रह कर वाणिज्यिक कार्य उपयोग में लिया जाना पाया गया जो द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, और वितरण विनिमयन) आदेश 2000 की धारा 3बी, 4, 5, 6 की स्पष्ट अवहेलना की गई जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध होने से विभागीय कार्यवाही से सहमत होते हुए जब्तसुदा 01 गैस सिलेण्डर एच.पी. कम्पनी गैस सिलेण्डर मय गैस को राज्यसात (Confiscate) किये जाने का आदेश किया जाता है जिला रसद अधिकारी,</td></tr>
</table>

	जोधपुर को निर्देश है कि वह उक्त सिलेण्डर को संबंधित गैस एजेन्सी में जमा करावें तथा उनसे प्राप्त राशि राज्य कोष में जमा करायी जाये आदेश की एक प्रति संबंधित को पालनार्थ प्रेषित हो।